अध्याय-III

राज्य उत्पाद

अध्याय-III: राज्य उत्पाद

3.1 कर प्रशासन

उत्पाद शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण बिहार उत्पाद अधिनियम, 1915 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाये गये नियमावलियों/ निर्गत अधिसूचनाओं, झारखण्ड सरकार द्वारा यथा अंगीकृत, से शासित होता है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग के सचिव राज्य उत्पाद नियमों के प्रशासन के लिये सरकार के स्तर पर उत्तरदायी होते हैं। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) विभाग के प्रमुख होते हैं और सरकार की उत्पाद नीतियों एवं कार्यक्रमो के प्रशासन एवं कार्यान्वयन के लिये मुख्य तौर पर जिम्मेवार होते हैं। मुख्यालय में एक संयुक्त आयुक्त उत्पाद, उपायुक्त उत्पाद एवं सहायक आयुक्त उत्पाद द्वारा उनको सहयोग किया जाता है। तदंतर, झारखण्ड राज्य तीन उत्पाद प्रमंडलों[1] प्रत्येक उपायुक्त उत्पाद के नियंत्रणाधीन, विभक्त है। प्रमंडलों को पुन: 19 उत्पाद जिलों[2] में, प्रत्येक जिला एक सहायक आयुक्त उत्पाद/ अधीक्षक उत्पाद (स.आ.उ/ अ.उ.) के प्रभार के अधीन विभक्त किया गया है।

3.2 मानव संसाधन

विभाग के अधिकारियों एवं अन्य सहायक कर्मचारियों की स्वीकृत बल और मानव बल की स्थिति दिसम्बर 2017 तक **तालिका-3.1** में दर्शायी गयी है।

तालिका-3.1

पद की प्रकृति	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	कमी	कमी (प्रतिशत में)
अधिकारी	33	12	21	63.64
कर्मचारी	1,017	260	757	74.43
कुल	**1,050**	**272**	**778**	

अधिकारियों में मुख्य रुप से स.आ.उ./ अ.उ. के पदों एवं सहायक कर्मचारियों जिनमे, रासायन विश्लेषक के तकनीकी पदों में, रासायन विश्लेषक, तकनीशियन, प्रयोगशाला सहायक आदि, निरीक्षण योग्य पदों में उप निरीक्षक उत्पाद/ सहायक उप निरीक्षक उत्पाद, उत्पाद सिपाही एवं लिपिक में अत्यधिक कमी थी।

---

[1] उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल, हजारीबाग, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, राँची और संथाल परगना प्रमंडल, दुमका।

[2] बोकारो, चाईबासा, धनबाद, देवघर, दुमका ,गढ़वा, गिरिडीह, गोडडा, गुमला-सह-सिमडेगा, हजारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर, जामताडा, कोडरमा, लोहरदगा, पाकुड, पलामू-सह-लातेहार, राँची, साहिबगंज, और सरायकेला-खरसाँवां।

3.3 लेखापरीक्षा के परिणाम

2016-17 के दौरान, लेखापरीक्षा ने विभाग की 23 लेखापरीक्षा योग्य इकाईयों में से 19[3] इकाईयों (83 प्रतिशत) के अभिलेखों की नमूना जाँच की। विभाग ने 2015-16 के दौरान ₹ 912.47 करोड़ राजस्व संग्रहित किया, जिसमें से लेखापरीक्षित इकाईयों ने ₹ 834.77 करोड़ (91 प्रतिशत) संग्रहित किये। लेखापरीक्षा ने 3,194 मामलों में ₹ 124.93 करोड़ की अनियमितता पायी, (जिसमें तीन उत्पाद जिलों[4] में 362 मामलों में ₹ 89.66 करोड़ शामिल है) जो **तालिका-3.2** में वर्णित है:-

तालिका-3.2

क्र. सं.	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	कुल आपत्ति की राशि के लिये प्रतिशत में हिस्सेदारी
1	खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना	111	79.72	63.82
2	शराब का कम उठाव	695	23.20	18.57
3	खुदरा अनुज्ञाधारियों को अनुचित वित्तीय लाभ	1,093	14.18	11.35
4	अनुज्ञा शुल्क का वसूली नहीं होना	10	0.18	0.14
5	अन्य मामले	1,285	7.65	6.12
कुल		**3,194**	**124.93**	

लेखापरीक्षा के द्वारा इंगित ₹ 103.41 करोड़ के 1,746 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया और प्रारूप कंडिकाओं में बताये गये छः मामलों में सन्निहित ₹ 15.26 लाख सहित ₹ 8.46 करोड़ की वसूली की गयी।

इस अध्याय में 819 मामलों में ₹ 103.26 करोड़ की अनियमितता दृष्टांत स्वरूप दिया जा रहा है। इस प्रकार की कुछ अनियमितताये विगत पाँच वर्षों से बारम्बार प्रतिवेदित की जा रही है जो **तालिका-3.3** मे वर्णित है:

---

3 स.आ.उ. का कार्यालय बोकारो, धनबाद, हज़ारीबाग-सह-रामगढ़-सह-चतरा, जमशेदपुर और राँची तथा अ.उ. का कार्यालय चाईबासा, देवघर ,दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोडडा, गुमला, जामताडा, कोडरमा, पाकुड, पलामू-सह-लातेहार, साहिबगंज, सरायकेला-खरसाँवां और आयुक्त उत्पाद, राँची।

4 स.आ.उ. का कार्यालय बोकारो, धनबाद और जमशेदपुर।

तालिका-3.3

(₹ करोड़ में)

अवलोकन की प्रकृति	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		कुल	
	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
खुदरा शराबदुकानों की अबंदोबस्ती	407	80.29	128	-	82	24.88	51	22.27	79	47.00	747	174.44
खुदरा विक्रेता द्वारा शराब का कम उठाव	148	0.16	-	-	263	2.00	542	4.67	447	5.57	1,400	12.40
अनुज्ञा फीस और देर से जमा ब्याज पर अनारोपण/ अल्पारोपण	-	-	-	-	140	3.81	-	-	-	-	140	3.81

अनुशंसा:

विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये गये राजस्व की निरंतर रिसाव को रोकने के लिये व्यवस्थित उपायों को लागू कर सकती है।

3.4 अधिनियमों/ नियमों का अनुपालन

फरवरी 2009 और नवम्बर 2015 के अंतर्गत निर्गत किये गये अधिसूचनाओं एवं संकल्पों का प्रावधान:

i) खुदरा उत्पाद दुकानों की शत प्रतिशत बंदोबस्ती;

ii) खुदरा उत्पाद दुकानों द्वारा शराब का न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा (न्यू. प्र.मा.) का उठाव;

iii) न्यू. प्र.मा. से अधिक उठाव पर अतिरिक्त अनुज्ञाशुल्क का उदग्रहण; एवं

iv) शराब पर उत्पाद शुल्क का आरोपण।

अधिनियमों/ नियमावलियों के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किये जाने के कारण होने वाले राजस्व की हानि या वसूली नहीं होने का उल्लेख निम्नलिखित कंडिकाओं में किया गया है।

3.5 खुदरा उत्पाद दुकानों की बंदोबस्ती नहीं होना

जिला उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा प्रयास की कमी एवं खुदरा उत्पाद दुकानों की 100 प्रतिशत बंदोबस्ती को सुनिश्चित नहीं करने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 79.72 करोड़ के सरकारी राजस्व से वंचित होना पड़ा।

विभाग ने सभी खुदरा दुकानों को प्रतिवर्ष नीलामी/ निविदा के लिये बोली लगाने के स्थानों पर लॉटरी प्रणाली द्वारा बंदोबस्ती के लिये दिशानिर्देशों के साथ एक नई उत्पाद नीति को अधिसूचित किया (फरवरी/ मार्च 2009)। आयुक्त उत्पाद (आ.उ.) ने

सूचित किया (26 फरवरी 2014) कि स.आ.उ./अ.उ. खुदरा उत्पाद दुकानों की 100 प्रतिशत बंदोबस्ती के लिये उत्तरदायी है और जहाँ खुदरा दुकानें अबंदोबस्त रहती है, अनुज्ञा प्राधिकारियों की अनुशंसा पर बंदोबस्ती प्रस्ताव को घटे हुये अनुज्ञा शुल्क पर आ.उ. अनुमोदन कर सकते हैं।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकाश डाला गया था कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 747 दुकानों के अबंदोबस्त रहने के कारण ₹ 174.44 करोड़ की निरन्तर हानि हुई। विभाग द्वारा (अगस्त 2016) 100 प्रतिशत दुकानों की बंदोबस्ती सुनिश्चित कराने के आश्वासन के बाद 19 इकाईयों के अभिलेखों के नमूना लेखापरीक्षा में पाया (जुलाई 2016 एवं फरवरी 2017 के मध्य) कि चार उत्पाद जिलों[5] में 442 उत्पाद दुकानों में 111 खुदरा दुकानें[6] सालों भर अबंदोबस्त रही। पुनः यह देखा गया कि स.आ.उ./ अ.उ. जो दुकानों की 100 प्रतिशत बंदोबस्ती के लिये उत्तरदायी थे इन अबंदोबस्त दुकानो की बंदोबस्ती के लिये बिक्री अधिसूचना निर्गत करने के अलावा कोई अन्य कार्रवाई की पहल नहीं की गयी। स.आ.उ./ अ.उ. ने दुकानों के पूर्व अनुज्ञाधारी से सम्पर्क नहीं किया या दुकानों की अबंदोबस्ती के कारणों की जाँच नहीं की। यह भी देखा गया कि कोई भी उत्पाद जिलों ने अनुज्ञा फीस की घटी दर पर इन दुकानों की बंदोबस्ती के लिये प्रस्ताव नहीं भेजा। इस प्रकार, उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा प्रयास की कमी के कारण सरकार को ₹ 79.72 करोड़ के उत्पाद शुल्क एवं अनुज्ञा फीस से वंचित रहना पड़ा जैसा कि **तालिका-3.4** मे वर्णित है:

तालिका-3.4

क्र. स.	उत्पाद जिलों का नाम	न्यू. प्र. मात्रा (एल.पी.एल./बी.एल)			अनुज्ञा फीस (₹ लाख मे)	शुल्क (₹ लाख मे)	कुल(अनुज्ञा फीस+ शुल्क) (₹ लाख में)
		दे.श./म.दे.श.	भा.नि.वि.श.	बीयर			
1	बोकारो	8,48,260	3,36,545	4,73,827	1,084.16	632.63	1,716.79
2	धनबाद	80,855	2,62,904	4,51,083	568.17	412.01	980.18
3	जमशेदपुर	17,04,989	10,10,843	14,03,799	2,832.04	1,752.05	4,584.09
4	रामगढ़	3,85,717	1,26,852	1,76,221	441.29	249.22	690.51
कुल		**30,19,821**	**17,37,144**	**25,04,930**	**4,925.66**	**3045.91**	**7,971.57**

दे.श./म.दे.श.- देशी शराब/मशालेदार देशी शराब, भा.नि.वि.श.- भारत निर्मित विदेशी शराब, एल.पी.एल - लंदन प्रूफ लीटर और बी.एल.-बल्क लीटर।

विभाग ने उत्तर मे कहा (नवम्बर 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य) कि दुकानें इच्छुक आवेद्कों/ व्यवसायियों की अनुपलब्धता के कारण अबंदोबस्त रही यद्यपि स्थानीय समाचार पत्रों में नियमित रुप से बिक्री अधिसूचना प्रकाशित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। समय-समय पर बिक्री अधिसूचना प्रकाशित करने के अलावा कोई अन्य प्रयास नहीं किये गये यथा अनुज्ञा शुल्क को घटी दर पर दुकानों की बंदोबस्ती के लिये प्रस्ताव देने और विगत वर्ष के वास्तविक उठाव को विचार करने

[5] स.आ.उ., बोकारो, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम(जमशेदपुर) और हज़ारीबाग सह चतरा सह रामगढ।

[6] अबंदोबस्त/स्वीकृत दुकानों की संख्या: बोकारो(30/91), रामगढ़(12/44), जमशेदपुर(58/161) और धनबाद (11/146)।

के बाद न्यू.प्र.मा. का उचित निर्धारण करना। दुकानों की वास्तविक क्षमता के आधार के बदले देशी शराब/ मसालेदार देशी शराब, भारत निर्मित विदेशी शराब (भा.नि.वि.श.) एवं बीयर के लिये जिले के न्यू.प्र.मा. को 2014-15 के न्यू.प्र.मा. पर प्रतिशत आधार पर बढ़ाकर क्रमश: दो, सात और दस प्रतिशत तय किया गया। यह अनियमितता इन चार जिलों मे बारम्बार देखा गया जो विगत पाँच वर्षों के लेखापरीक्षा मे प्रतिवेदित 747 अबंदोबस्त दुकानों में से 419 दुकानें इन्हीं जिलों से संबंधित है।

3.6 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब का कम उठाव

निर्धारित न्यू.प्र.मा. की तुलना मे शराब के उठाव के आवधिक अनुश्रवण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप शराब के कम उठाव के कारण ₹ 23.20 करोड़ के उत्पाद शुल्क के हानि के समतुल्य अर्थदंड का आरोपण नहीं हुआ।

नियम, अधिनियम आदि निर्दिष्ट करता है कि खुदरा उत्पाद दुकानों के प्रत्येक अनुज्ञाधारी विक्रेता विभाग द्वारा दुकानों के लिये प्रत्येक प्रकार के शराबो के लिये निर्धारित न्यू.प्र.मा. के उठाव के लिये बाध्य है। इसमें असफल रहने पर सरकार द्वारा उत्पाद शुल्क की उठाई गयी हानि के समतुल्य अर्थदंड वसूलनीय होगी।

विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि 2011-12 से 2015-16 के दौरान 1,400 खुदरा विक्रेताओं द्वारा शराब के कम उठाव के कारण ₹ 12.40 करोड़ की निरंतर हानि हुई। विभाग द्वारा शराब के कम उठाव को रोकने के लिये अपनाये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन हेतु लेखापरीक्षा ने जुलाई 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य 19 इकाईयों के अभिलेखों की जाँच की गयी। 12 उत्पाद जिलों[7] मे देखा गया कि (1,126 दुकानों मे से) 695 दुकानों द्वारा 2015-16 के दौरान उठाव के लिये निर्धारित कोटा (268.97 लाख एल.पी.एल./ बी.एल. के सापेक्ष में) 69.61 लाख एल.पी.एल/ बी.एल. का कम उठाव किया। यह देखा गया कि खुदरा उत्पाद दुकानों का न्यू.प्र.मा. वार्षिक आधार पर निर्धारित किये गये थे जिसे बारह भागों मे बांटा गया था एवं खुदरा दुकानों के विक्रेता द्वारा शराब का उठाव मासिक आधार पर किया गया। तदंतर यह देखा गया कि विभाग के पास यह सुनिश्चित करने के लिये कोई तंत्र नहीं था, कि न्यू.प्र.मा. का मासिक कोटा का उठाव विक्रेता द्वारा किया गया। इसके कारण कम उठाव हुआ एवं परिणामस्वरुप ₹ 23.20 करोड़ के उत्पाद शुल्क के हानि के समतुल्य अर्थदंड का आरोपण नहीं किया गया।

विभाग का उत्तर (मार्च 2018) केवल लेखापरीक्षा अवलोकन में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित मामलों में वसूली हेतु उठाये गये कदम पर केन्द्रित है, उठाव की मात्रा में

---

7 स.आ.उ./अ.उ. बोकारो, धनबाद, देवघर, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर), गढ़वा, गिरिडीह, हज़ारीबाग-सह-चतरा-सह-रामगढ़, जामताडा, कोडरमा, पलामू-सह-लातेहार, राँची और साहिबगंज।

दीर्घायी कमी बिना मूल मुद्दों को संबोधित किया गया परिणामस्वरूप राजस्व की हानि हुई।

अनुशंसा:

विभाग न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा के कम उठाव से होने वाली हानि में कमी लाने को सुनिश्चित करने के लिये एक तंत्र लागू कर सकती है।

3.7 विलंब से जमा पर अनुज्ञा शुल्क एवं ब्याज की नहीं/ कम वसूली होना

प्रत्येक अनुज्ञाधारी के अनुज्ञा फीस के विरुद्ध किये गये भुगतान के आवधिक निर्धारण प्रणाली के अभाव के परिणामस्वरूप अनुज्ञा फीस एवं ब्याज की नहीं वसूली/ कम वसूली किया गया।

अधिनियम, नियमावली आदि निर्दिष्ट करता है कि खुदरा दुकानों के अनुज्ञाधारी प्रत्येक माह के 20 तारीख तक मासिक अनुज्ञा फीस को जमा करने के लिये बाध्य है, असफल रहने पर अनुज्ञा फीस के बकाया राशि पर प्रतिदिन पाँच प्रतिशत की दर से ब्याज भुगतेय है।

2013-14 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में प्रकाश डाला गया था कि 140 अनुज्ञाधारियों द्वारा विलंब से भुगतान करने पर अनुज्ञा फीस एवं ब्याज की वसूली नहीं होना/ कम वसूली के कारण सरकार को ₹ 3.81 करोड़ राजस्व की हानि हुई। अनुज्ञा फीस को ससमय वसूली सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा अंगीकार किये गये सुधारात्मक उपायों का मूल्यांकन करने हेतु स.आ.उ. धनबाद एवं पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के 19 इकाईयों के अभिलेखों का नमूना जांच में (जनवरी 2017 एवं फरवरी 2017 के मध्य) यह पाया गया कि सात अनुज्ञाधारियों ने मासिक अनुज्ञा फीस 35 दिनों तक के विलंब से जमा किया, एक अनुज्ञाधारी ने ₹ 7.95 लाख का मासिक अनुज्ञा फीस दो माह तक जमा नहीं किया। तदंतर, यह पाया गया कि भुगतान किये गये अनुज्ञा फीस का संधारण एवं अद्यतन अनुज्ञाधारियों द्वारा बैंक चालान प्रस्तुत करने पर प्रपत्र 66 A में मैन्यूअली किया गया। यद्यपि भुगतान पंजी मे अद्यतन कर लिये गये थे, प्रत्येक अनुज्ञाधारी के भुगतान नहीं/ विलंबित भुगतान के अनुज्ञा फीस के विरुद्ध किये गये भुगतान का आवधिक निर्धारण के लिये तंत्र के अभाव के कारण इन मामलों में अनुज्ञा फीस भुगतान को निर्धारित नहीं किया जा सका। इस प्रकार उत्पाद प्राधिकारियों, ₹ 10.86 लाख के ब्याज सहित ₹ 18.81 लाख के अनुज्ञा फीस एवं ब्याज की राशि की नहीं/ कम वसूली से अनभिज्ञ रहे।

विभाग ने उतर में (मार्च 2018) मात्र सूचित किया कि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित अनुज्ञा फीस एवं ब्याज की नहीं/ कम वसूली के मामले में वसूली की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी गयी थी एवं सदृश अनियमितताओं की पुनरावृति न हो को सुनिश्चित करने हेतु प्रणाली में किये गये बदलाव को सुचित नहीं किया।

अनुशंसा :

विभाग अनुज्ञा फीस के नहीं/ विलंब से भुगतान के सभी प्रकरणों की पहचान करने हेतु तंत्र को स्थापित कर सकती है जिससे उत्पाद प्रधिकारियों द्वारा शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई करने में समर्थ हो सके।

3.8 उत्पाद शुल्क की कम वसूली

उत्पाद शुल्क के भुगतान का आवधिक निर्धारण और प्रत्येक अनुज्ञाधारी के भंडार से इसकी जांच हेतु तंत्र के अभाव के परिणामस्वरुप उत्पाद शुल्क की कम वसूली की गयी।

अधिनियम विनिर्दिष्ट करता है कि सरकार द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा पत्र के अंतर्गत निर्मित उत्पाद योग्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क प्रभार्य है। शराब पर, उद्ग्रहण योग्य शुल्क की दर (भा.नि.वि.श. एवं बीयर) और देशी शराब/ मशालेदार देशी शराब (दे.श./ म. दे.श.) को क्रमश: 2 नवंबर 2015 एवं 8 सितंबर 2015 के प्रभाव से संशोधित कर दिया गया।

19 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016 एवं मार्च 2017 के मध्य) के दौरान यह पाया गया कि तीन उत्पाद कार्यालयों[8] के छ: अनुज्ञाधारियों में से तीन अनुज्ञाधारियों ने, भा.नि.वि.श. एवं बीयर के 0.41 लाख एल.पी.एल./ बी.एल. पर पूर्व संशोधित दर से उत्पाद शुल्क जमा किया, जिसे उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा अंतरीय राशि की वसूली की कार्रवाई की पहल किये बिना स्वीकार कर लिया। शेष तीन अनुज्ञाधारियों के मामले में लेखापरीक्षा ने उनके द्वारा जमा की गयी उत्पाद शुल्क की राशि को उनके भंडारण पंजी से तिर्यक जांच किया गया एवं पाया कि अनुज्ञाधारियों ने 2 नवंबर और 8 सितंबर 2015 के लिये क्रमश: विदेशी शराब एवं देशी शराब के लिये पुराने दर से एवं अनुवर्ती तिथियों के लिये संशोधित दर से उत्पाद शुल्क जमा किया परिणामस्वरुप 0.35 लाख एल.पी.एल. शराब को 2 नवंबर एवं 8 सितंबर 2015 को पुरानी दर पर उत्पाद शुल्क लगाने से अनुचित लाभ दिया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद प्राधिकारियों द्वारा अन्य कमियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया जब कि वे मैन्यूअल पंजी का संधारण पहले से करते थे जिसे सिर्फ अनुज्ञाधारियों द्वारा बैंक चालान प्रस्तुत करने पर अद्यतन किया जाता था। अत: उत्पाद प्राधिकारियों के लिये स्वविवेक से यह सुनिश्चित करने के लिये कि अनुज्ञाधारियों ने उत्पाद शुल्क का सही दर से भुगतान किया, इसके लिये कोई पद्धति नहीं था। उत्पाद प्राधिकारियों के पास भुगतान प्राप्ति के समय अनुज्ञाधारी के भंडारण पंजी से तिर्यक जांच के लिये कोई पद्धति नहीं थी परिणामस्वरुप उत्पाद प्राधिकारी यह समझने में असफल रहे कि छ: अनुज्ञाधारियों के मामले में ₹ 15.74 लाख की उत्पाद शुल्क की कम वसुली की गयी।

---

[8] स.आ.उ./ अ.उ. दुमका, बोकारो, और राँची।

विभाग ने अपने उत्तर (मार्च 2018) में मात्र नमूना लेखापरीक्षा में जाँच किये गये छः अनुज्ञाधारियों के संबंध में कम वसूली के मामलों को संबोधित किया और इस तरह के कम वसूली के कारण वृहतर व्यवस्था मामलों को स्पर्श नहीं किया।

अनुशंसा:

विभाग को एक तंत्र लागू करने की आवश्यकता है जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अनुज्ञाधारियों द्वारा विदेशी शराब एवं देशी शराब के सही राशि का प्रेषण एवं अनुज्ञाधारियों के भण्डारण पंजी का तिर्यक जांच शामिल हो।

लेखापरीक्षा का प्रभाव

- विभाग ने (मार्च 2018) इस अध्याय में चित्रित ₹ 103.26 करोड़ में से ₹ 8.19 करोड़ की वसूली की सूचना दी है।